न्यायालय मुंसिफ
सोनपुर सारण।
हकियत वाद सं0—92 सन् 2021
वीवी कनीज फातमा वगै0..................वादीगण।
बनाम
श्रीमती अनीता देवी वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक—05.09.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त बहाल करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 05.04. 2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद की तकरारी एराजी जायदाद मुन्दर्जे जमीमा नं0 01 अर्जीदावी पर वादी सं0 01 की हकियत वो रचनात्मक दखल कब्जा को घोषित कराने हेतु दाखिल किया है तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 05 इस वाद में उपस्थित होकर संघर्ष कर रहे है तथा वर्तमान वाद वादी की ओर से साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है। इसी कम में दिनांक 31. 03.2024 को एकाएक सुबह में करीब 9 बजे प्रतिवादी सं0 01 ता 05 एक राय होकर तकरारी भूमि जमीमा नं0 01 पर आये। कुछ बाहर के असामाजिक तत्वों के साथ तथा तकरारी भूमि पर निर्माण करने के ख्याल से मिट्टी खोदने लगे तथा भूमि के स्वरूप को बदलना चाहते हैं। विवादित भूमि का स्वरूप न्यायालय के अभिलेख पर आना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि किसी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति कर विवादित एराजी का स्थानीय निरीक्षण करवाकर बिन्दुवार प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक—09. 05.2024 को दाखिल कर वादी के अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन का विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी तकरारी एराजी जमीमा नं0 01 का स्थल निरीक्षण करने हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि तकरारी भूमि पर निर्माण करने के ख्याल से मिट्टी खोदने लगे तथा भूमि के स्वरूप को बदलना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति

में तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 05.04.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री राजू रजक को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।